

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
(मुख्यालय) अनुश्रवण

सं०सं०-ल०सि०मो०-CM-edash-05/2020 - 1206 (मौ०)

/पटना, दिनांक- 15/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई अंचल, पटना।

विषय:- जल-जीवन-हरियाली योजना में अनियमितता और मनमानी के संबंध में।

प्रसंग:- श्री प्रकाश सिंह, ग्राम-रसलपुर, पो०-ओरियावाँ, थाना-एकंगर सराय जिला-नालंदा एवं अन्य ग्रामीण जनता से प्राप्त आवेदन

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में श्री प्रकाश सिंह, ग्राम-रसलपुर, पो०-ओरियावाँ, थाना-एकंगर सराय जिला-नालंदा द्वारा बाईसी कैनल के तटबंध को काटकर पड़ोस के गाँव-चम्हेड़ा की ओर मोड़कर एवं जल-जीवन-हरियाली अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रही योजनाओं में हो रही अनियमितता के जाँच कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पत्र में वर्णित योजना की जाँच की जाय। योजना का कार्य यदि प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप एवं गुणवत्ता पूर्ण नहीं हो रहा हो तो संवेदक के विरुद्ध बिहार ठीकेदार निबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करें तथा दोषी अभियांताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाय।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/6/2020
15/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1206 (मौ०)

/पटना, दिनांक- 15/6/2020

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा एवं मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/6/2020
15/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1206 (मौ०)

/पटना, दिनांक- 15/6/2020

प्रतिलिपि- श्री प्रकाश सिंह, ग्राम-रसलपुर, पो०-ओरियावाँ, थाना-एकंगर सराय जिला-नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

20/6/2020
15/6/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय) अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

लघु-जल संसाधन विभाग

स.स. म.स. (म.स.)

विषय:- जल जीवन हरियाली योजना में जलनिगीतता और मनमानी के संदर्भ में,

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित करना है कि बाईसी ईनाल जो लिबडी बरान से निकलकर अपने 22 किमी के त्रवह के दौरान ग्राम- रसलपुर, पीठ- औरिगोवा, घाना- रसगर सराग निका- नाकन्दा से होकर गुजरती है।

ग्राम- रसलपुर के समीप डल ईनाल

के त्रवह को काटकर पडौल के गांव- चण्डेडा की ओर जल जीवन हरियाली योजना के तहत दो बड़े खुदाई में भौंड दिया गया है। इस योजना में काफी मनमानी हो रही है ग्राम- चण्डेडा का 300 बीघे का है वहां 15 योजना चल रही है लगभग काब पुरा होने को है, जबकि ग्राम- रसलपुर का वरुवा 1200 बीघे का है और यहां रुड भी योजना की शुरुआत नहीं हुई है। उपर से ग्राम रसलपुर सहित अन्य गांव के पानी के वरुवात स्रोत बाईसी ईनाल को भी पडौल के गांव- चण्डेडा की ओर मोड़कर हम सभी लोग के साथ अत्याय किया गया है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि

बाईसी ईनाल के चण्डेडा को रोकने हेतु इसे अस्थास्थिति में खूब सी तरफ रहने देने लवम जल जीवन हरियाली योजना में दो बड़े मनमानी एवं जलनिगीतता के जांच का आदेश देने की कृपा करें। इस संबंध में सहायक जलनिगीतता और कार्यालयक जलनिगीतता से संपर्क किया जा चुका है वो लगातार बालगोल कर रहे हैं। हम सभी प्रशासित ग्राम- वारिगोवा को सिर्फ आपसे न्याय की उम्मीद है।

आवेदक

प्रमथा सिंह

ग्रामीण जनता - रसलपुर, औरिगोवा, भागु

घाना - रसगर सराग

निका - नाकन्दा

फोन : 9903430429

संलग्न:- त्रवह की प्रति

2221/सा.स. (म.स.)
02/6/20

रवि
03-06-2020

रवि

27/6
3/6

2300 (मो)
04-06-2020



गाँव नं. 930

काल से वर्धित नि:
पासा नदबंदा को
उमे कुलरी और
रसलपुर न.